कार्यवाही विवरण

मेसर्स स्टार एक्स मिनरल्स (प्रो.–श्री वजीर सिंह गोंडपेन्ड्री लाईम स्टोन माईन), ग्राम–गोंडपेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक–342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2 कुल क्षेत्रफल–4.78 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–4,99,346 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 17.04.2023 को समय दोपहर–12:00 बजे, स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई. आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स स्टारएक्स मिनरल्स (प्रो.–श्री वजीर सिंह गोंडपेन्ड्री लाईम स्टोन माईन), ग्राम–गोंडपेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक–342, 347, 348, 349/2, 350, 355, 357, 358, 359/1, 359/2, 359/3, 360, 492/1, 492/2, 356/1 एवं 356/2 कुल क्षेत्रफल–4.78 हेक्टेयर, चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान उत्खनन क्षमता–4,99,346 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र बिजनेस स्टैण्डर्ड, नई दिल्ली दिनांक 16.03.2023 एवं दैनिक समाचार पत्र पत्रिका, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 16.03.2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 17.04.2023 को समय दोपहर 12.00 बजे, स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, जिला–दुर्ग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–दुर्ग, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–दुर्ग, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गोंड़पेन्ड्री, जिला–दुर्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32

बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में काई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 17.04.2023 को दोपहर 12:35 बजे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थान–शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–गोंड़पेन्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चन्द्रा द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री श्याम लाल वर्मा, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खसरा नंबर में खदान खोलने के लिये आज गांव वालों को आमंत्रित किया गया है। खनन गांव में होगा इससे केवल ग्रामीण प्रभावित होंगे और कोई नही होगा। मैं खदान खुलने हेतु सहमत नहीं हूं।

2. **श्रीमती त्रिवेणी बंजारे, जनपद पंचायत सदस्य, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रस्तावित खदान प्रारंभ होने से गांव वालों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ स्थानीय लोगों का विकास होगा। निवेदन है कि खदान प्रबंधन प्रतिवर्ष पर्यावरण के लिये वृक्षारोपण करें।

3. **श्री खिलेश्वर गायकवाड़, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुल रहा है ये अच्छी बात है। लेकिन ये खदान मेरे घर के पीछे ही है। खदान में होने वाले बोर ब्लास्टिंग से मेरे घर की क्या स्थिति हो रही है कृपया दो मिनट कलेक्टर महोदय जाकर देख लेवें।

4. **श्रीमती बहुरा बाई, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पहले खदान खुला था। पहले खदान बोर ब्लास्टिंग से घरों में दरार हो रहा है। लेकिन खदान खुलने के पहले इन्होंने ही अपनी जमीन खदान संचालकों को बेचा था।

5. **श्रीमती रमा देवी सोम, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे घर के सामने खदान खुला है। पहले धूल माप के देखे उसके बाद खदान खुलने की अनुमति देवे। आप बोलेंगे तो मैं लिखित में शिकायत करने के लिये तैयार हूं। हमारे बच्चों को कुछ होगा तो कौन जवाबदार होगा। हमारे गांव में खदान खुलना ही नही चाहिए। क्योंकि यहां पर बच्चे खेलते रहते हैं। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो लिखित में दे दीजिये उसके बाद खदान खुलने की अनुमति दी जाये। कितना धूल, मिट्टी उड़ता है। हम लोग रह नही पा रहे हैं। गांव का भविष्य देखना पड़ता है। बच्चों का भविष्य देखना पड़ता है। हम लोगों को लिखित में चाहिए की बच्चों को कुछ नही होगा। खदान संचालक पेड़ लगाने एवं जल छिड़काव आदि करने का वादा करता है। यहां पर तो 35 खदान संचालित है लेकिन कोई जल छिड़काव नहीं कता है। मेरा अनुरोध है कि गांव में खदान नहीं खुलना चाहिए। लोग झूठ मुट का आवेदन लिख देते हैं। आप इसकी इंन्कवारी कर सकते हैं। गरीब का दुआ लगे ऐसा काम करो। इनसे बद्दुआ मत लो। खदान मत खोलो। दूसरी कंपनी खोलो।

6. **श्री विनोद जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां जो बोला गया है वो सही है। यहां पर आंख बन्द करके खदान खुलने के लिये एनओसी दे दिया जाता है। अभी इस कंपनी को एनओसी मिलना चाहिए। गांव से लगे हुए खदानों को भी अनुमति दे दी गई है। यह खदान दूर में है। तब तो इसे अनुमति मिलनी चाहिए। प्रदूषण एक समस्या है। लाल, हरा, पीला, नीला रंग करने से प्रदूषण कम नही होगा। अग्रवाल का खदान हमारे जमीन से बहुत दूर होने के बावजूद उनको अनुमति नही दिया गया था। उनको हम अनुमति दिलवायेंगे।

7. **श्री होमन खुटियारे, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पर जब सबका खदान खुल सकता है तो इस खदान के लिये क्यों आपत्ति की जा रही है। लोगों ने जमीन बेचा, तब उन्हें सोचना चाहिए था कि खदान खुलने के लिये क्यों जमीन दी जा रही है। मैं खदान के समर्थन में हूं।

8. **श्री चंदन कुमार, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नहीं हूं। इस गांव में 20–25 खदान पहले से संचालित है इसका दुष्परिणाम हम लोग झेल रहे हैं। ब्लास्टिंग से समस्या हो रही है। ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े गांव तक आते हैं। खदानो में अवैध उत्खनन से गहराई तक खनन हो रहा है जिससे पेयजल स्तर गिरते जा रहा है। भविष्य में हमको पेयजल

नही मिल पायेगा। प्रदूषण के चलते हम लोगों का जीना दूभर हो गया हैं। हम लोग खदान खुलने के पक्ष में नही हैं।

9. **श्री सुशील कुमार जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं गांव का मूल निवासी हूं। मुझे गांव में खदान नहीं चाहिए। हमारे गांव में कम से कम 15–17 खदान संचालित है। और यह खदान प्रस्तावित है। हमारे गांव का तालाब बहुत गन्दा हो गया है यहां नहाने के लिये भी सोचना पड़ता है। ब्लास्टिंग के कारण इतनी गैस आती है कि हमें जीना पड़ रहा है। हमारे खेत में अनाज पैदा नही हो पाता तो हम लोग क्या खायेंगे। इसीलिये किसान मजबूर होकर जमीन बेच रहा है। जिससे पूरा गांव परेशान है। वायु प्रदूषण धूल–धक्कड़ के कारण छत में सुखाये कपड़ा गन्दा हो जाता है। एक बार की जगह 3 बार नहाना पड़ता है। सभी बुजुर्ग महिलाओं, साथियों का एक ही कहना है कि गांव में खदान नही खुलना चाहिए। आप पदाधिकारीगण हमारे पक्ष में फैसला लेंगे।

10. **श्री नरोत्तम पाल, पंच, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमें खदान से आपत्ति नही है। हमें समस्या है तो इनसे होने वाली दुविधा से हैं। ब्लास्टिंग से दिवारों में दरार आ रहा हैं। पेयजल नही मिल पा रहा है। स्टाप डेम बनाया जायें। ब्लास्टिंग से बहुत ज्यादा धूल उड़ता है। दूर–दूर तक कुछ दिखाई नही देता हैं। जल छिड़काव किया जाये। अगर नियमानुसार खदान चलेगा तो हमें कोई आपत्ति नही हैं

11. **श्री मोनेष कुमार साहू, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। हमें और खदान की आवश्यकता नही है। ये खदान बन्द कर देना चाहिए।

12. **श्री नन्द किशोर यदु, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। हमें और खदान की आवश्यकता नही है। ये खदान बन्द कर देना चाहिए।

13. **श्री अनिल कुमार टण्डन, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस खदान के विरोध में हूं। हमारे गांव में बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। मृदा की जेसीबी से कटाई हो रहा है। मृदा अपरदन हो रहा है।

14. **श्री खिलेन्द्र जोशी, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव में बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। हमें और खदान की आवश्यकता नही है। ये खदान बन्द कर देना चाहिए।

15. **श्री चन्द्रशेखर जोशी, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं इस खदान का विरोध करता हूं। इस गांव में खदान होने से गांव वालों को कोई फायदा नहीं होगा। केवल खदान प्रबंधन को ही फायदा हो रहा है। प्रदूषण केवल चार प्रकार का होता है – जल, मृदा, वायु एवं ध्वनि। खदान के कारण वॉटर लेवल नीचे जा रहा है। क्रशर आदि चलने से वायु प्रदूषण होता है। खनन से मिट्टी का कटाव हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण हम लोग सह ले रहे हैं लेकिन कोई बाहरी आदमी आयेगा तो यहां पर रह नही पायेगा। हम सभी इस खदान का विरोध करते हैं।

16. **श्री रोहनलाल साहू, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान के विरोध में हूं। खदान करोना से भी गंभीर बीमारी है। करोना से आदमी दो दिन में मर जाता है लेकिन खदान से आदमी तिल–तिल होकर मरता है। खदान वालों को खदान के नीचे का मलाई दिखा लेकिन इससे गांव वालों को लोगों को जो समस्या होगी उसको ध्यान नही दिया। खदान संचालक कितनी भी कोशिश कर ले गांव वाले उसके पक्ष में नही हैं। जनता विरोध में है। खदान का पूरे गांव वाले विरोध में है। खदान का यहां के गांव वाले पिछले वर्ष भी विरोध में थे और आने वाले वर्ष में विरोध में रहेंगे।

17. **श्री सूर्यकांत, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नही हूं।

18. **श्री फिरोज कुमार डहरिया, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नही हूं।

19. **श्री दीपक कुमार मावले, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां पहले से बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। अब हमें और खदान नही चाहिए। हम खदान खुलने नही देंगे। यहां स्कूल है ब्लास्टिंग से पत्थर बच्चों तक पहुंचता हैं। हमें खदान नही चाहिए।

20. **श्री मंगतू यादव, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान वाले बाहर से काम करने के लिये मजदूर ला रहे हैं। हमें कोई काम नही दे रहा है। बोर ब्लास्टिंग बन्द कर देना चाहिए। सब्बल से ब्लास्टिंग करना चाहिए।

21. **श्री आकाश कुमार कोसरे, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ .हमारे गांव में पहले से बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए।

22. **श्री चन्द्रकांत माण्डले, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदानों से बहुत परेशानी हो रही है। गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए।

23. **श्री हंसकुमार बंजारे, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए। खदान से बहुत सारे परेशानी हो रही है मैं खदान के विरोध में हूं।

24. **श्री बच्चत कुमार डहरिया, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए।

25. **श्री मुकेश कुमार भारती, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए।

26. **श्री संदीप कुमार यादव, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ गांव में और खदान नहीं खुलना चाहिए। हमें परेशानी एक नही बहुत है। क्योंकि खदान से 100–200 मीटर दूरी पर स्थित जमीन भी खराब हो जाती है। पहले छत पर सोते थे, आज सुखाये कपड़े भी गन्दे हो जा रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भी हो रही है। खदान नहीं खुलना चाहिए।

27. **श्री कैलाश कुमार माण्डले, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नही हूं।

28. **श्री धनराज कुमार, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं खदान खुलने के पक्ष में नही हूं।

29. **श्री भूपेश कुमार डहरिया, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां बहुत सारे खदान खुल चुके हैं। यहां बहुत धूल–धक्कड़ होता है। पर्यावरण के संबंध में खदान वाले पेड़–पौधे नही लगाये हैं। पेड़–पौध अगर लगा देंगे तो उसको सम्हलने में भी समय लगेगा। यहां सभी लोग पैसे के भुखे हैं। यहां के सरपंच यहां क्यों नही आया है। वह रायपुर में रहता है। पर यहां होने वाले समस्या के लिये उसको आना चाहिए। मैं खदान खुलने के पक्ष में नही हूं।

30. **श्री रोहित कुमार जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ सरपंच हमारे गांव का खास है। उसे यहां पर होना चाहिए। पर यहां नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। सरपंच यहां तुरन्त उपस्थित होवे।

31. **श्री मिट्ठू कुमार जांगड़े, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां गांव के सभी लोग कह रहे हैं कि गांव में सरपंच को होना चाहिए। उसे जनता के बीच में रहना चाहिए। चाहे खदान खुले चाहे न खुले। धम्मानी का खदान गांव से 150 मीटर नही है फिर भी उसे एनओसी दिया गया। और वह खदान चल रहा है। वह एनओसी के लिये पैसा लिया है। वह उसी के लिये कार्य करता है। सरपंच को गाव के विरोध में लड़ना चाहिए। सब खदानों का लीज निरस्त किया जाये। अगर सभी खदान संचालित होगा तो इस खदान को भी खुलने दिया जाये। अन्यथा सभी खदान को बन्द किया जाये।

32. **श्री अमित यादव, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ .अगर खदान चले तो सभी खदान खुलना चाहिए वरना इस खदान को भी बन्द किया जाये।

33. **श्री यशवंत अग्निकर, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलना चाहिए लेकिन ब्लास्टिंग की समस्या इस तरफ या गांव की तरफ नही होना चाहिए।

34. **श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ बोर ब्लास्टिंग नहीं चाहिए। गांव वालों को कोई समस्या न हो ऐसा काम होना चाहिए। सबको रोजगार मिलना चाहिए।

35. **श्री चन्द्रकुमार ठाकुर, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ खदान खुलना चाहिए।

36. **श्री नमन, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ अगर खदान चले तो सभी खदान खुलना चाहिए वरना इस खदान को भी बन्द किया जाये।

37. **श्री पुरूषोत्तम देशलहरे, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ यहां हमारे गांव में खदान खुलना ही नहीं चाहिए। खदान सरकारी जमीन में नहीं खुलना चाहिए।

38. **श्री खुबीराम देशलहरे, ग्राम–गोंडपेन्ड्री, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रायः यहां सभी उद्योग लगाते हैं, लोगों का शोषण होता है। गांव के लिये किसी कुछ नही किया है। न कोई पेड़ लगाया, न कोई हेन्ड पम्प लगाया है। यहां एक हप्ते से कोई धूल नहीं उड़ रहा है क्योंकि हमको पता है पर्यावरण वाले आने वाले हैं। खदान वाले सबको बेवकूफ बना रहे हैं। यहां बहुत धूल उड़ता है। भविष्य में यहां के लोगों को बहुत समस्या होगा। यहां धूल को नियंत्रित करने के लिये जल छिड़काव होना चाहिए। ये लोग गांव के हित में कुछ नही करते है। इनको केवल पैसा चाहिएं मैं इस खदान के विरोध में हूं। यह खदान नहीं खुलना चाहिए।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–दुर्ग तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री अनिल शर्मा द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ यह नई खदान है। पूर्व खदान संचालक क्या कर रहे हैं इसकी हमें जानकारी नही है। अगर गांव में कोई काम होगा तो मैं करवा दूंगा। हम किसी गांव की जमीन खरीदते हैं वहां के निवासी हो जाते हैं
- ❖ हम यहां पेड़ लगायेंगे। गांव वाले जहां जमीन देंगे हम अपने पैसे से उतना पेड़ लगा देंगे।
- ❖ गांव में 8 लाख रूपये पार्क हेतु रखे हैं इसके लिये नींव खुदवा दिये है।
- ❖ ब्लास्टिंग 02–03 प्रकार का होता है अगर कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाये तो 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर असर नही होता है। हम आपके घर को अपना घर समझेंगे।
- ❖ पानी के स्त्रोत के लिये पानी गांव से बाहर नही जायेगी इसके लिये खदान के एक छोर में पानी को रोकने के लिये व्यवस्था करेंगे। हमें यहां पर वर्षो तक काम करना है।
- ❖ गांव में प्रदूषण के विरूद्ध कोई काम नही होगा। काम में जितनी भी स्थानीय लोगों की आवश्यकता होगी उनको रोजगार देंगे।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 120 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 38 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 22 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 02.35 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

14/04/23

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

14/04/23

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, जिला–दुर्ग